न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 58 / 2007 दायर दिनांक–01.06.2007

1 रामेश्वर लाल पुत्र पालाराम
2 बन्नाराम पुत्र पालाराम जाति अहिर निवासी पुजारी की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र कानाराम
2. बनवारीलाल
3. कजोड़
4. सुल्तान
5. नरोतम
6. रामवतार
7. ओमप्रकाश
8. महेश
9. राजू पुत्रान् रामेश्वरलाल
10. रोहितास पुत्र बनवारी
11. गजेन्द्र पुत्र बनवारी
12. मोतीलाल पुत्र कजोड़ जाति समस्त अहीर निवासी पुजारी की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विधाधर जाखड़
वकील प्रतिवादी :– श्री आनन्दीलाल सैनी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 31.07..2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी तन परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 794 व 792 के किसी भू भाग व एक्स स्थान पर किसी प्रकार का निर्माण न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवायें। वादीगण को उनके खातेदारी काश्त की भूमि को शांति से काश्त व उपयोग उपभोग करने दे उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादीगण को आदेशात्मक आज्ञा से आदेशित किया जावे कि उन्होंने वादी की स्वीकृति से एक्स स्थान पर 6–7 पत्थरों की ट्रोली डाली थी उन्हे तुरन्त ही उठाकर भूमि को काश्त के लिए खाली करे अगर प्रतिवादी ऐसा नही करे तो पुलिस इमदाद से पत्थर उठवाये जावे और खर्चा प्रतिवादीगण से वसूला जावे।

प्रतिवादी संख्या 01, 02, 05, 06 लगायत 09 व 11 की ओर से पेश जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण ने जो पत्थर व अन्य निर्माण सामग्री डाल रखी है वह भूमि वादीगण की भूमि से अतिरिक्त है जो आबादी भूमि हैं। वादीगण का कभी कोई संबंध नही रहा। उपरोक्त भूमि में काफी वर्षो से आबादी चल रही है। प्रतिवादीगण ने जिस स्थान पर पत्थर डाल रखे है वह आबादी भूमि है जो की वादीगण की भूमि से अलग है जिसकी पत्थरगढी भी की हुई है जिसमें भी उपरोक्त भूमि वादी नं0 1 की भूमि से अलग स्पष्ट जाहिर होती है। उपरोक्त भूमि में काफी वर्षो से आबादी बसी हुई है जिसमें प्रतिवादीगण के मकान बने हुए है। जिसमें प्रतिवादीगण अपने परिवार व मवेशियों सहित आबाद है। वादीगण स्वयं प्रतिवादीगण से लड़ाई झगड़ा करता है। श्रीमान एस0डी0एम द्वारा पाबंद किया गया था। इसके बावजूद अपनी नाजायज हरकतों से बाज नही आते है। वादीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

है। वादीगण इस दावे की आड़ में आबादी भूमि पर जबरन कब्जा करने की कुचेष्टा कर रहे है। जबकि आबादी भूमि से इनका कोई लेना देना नही है।

अतः जबाबदावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण खारीज फरमाया जावे।

जवाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया विवादित आराजी का वादी का हिस्सा 1/2 व वादी के भाई बना का हिस्सा 1/2 है। वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

भा.स.वादीगण

2. आया विवादित भूमि में प्रतिवादीगण ने पत्थर डालकर जबरन कब्जा करने की नियत बना रखी है।

भा.स.वादीगण

3. आया बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

भा.स.वादीगण

4. आया प्रतिवादीगण ने जो पत्थर व अन्य सामग्री डाल रखी है वह भूमि वादीगण की भूमि से अतिरिक्त है जो आबादी भूमि है।

भा.स.प्रतिवादीगण

5. आया विवादित आराजी में काफी अर्सा से आबादी बसी हुई है व प्रतिवादीगण के मकान बने हुए है।

भा.स.प्रतिवादीगण

6. आया प्रतिवादीगण आबादी भूमि पर निर्माण कार्य करना चाहते है जिसमें वादीगण का कोई संबंध नही है। विवादित भूमि से अलग है।

भा.स.प्रतिवादीगण

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 06 व 08 की ओर से वकील श्री आनन्दीलाल सैनी उप0। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनु रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु रामेश्वरलाल, नाहरूमल, धोंकलराम तथा शहादत प्रतिवादी हेतु कजोड़मल, बनवारीलाल के चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी व नकल नक्शा ट्रैस आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत पेश होने बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी खसरा नम्बर 792, 794 के रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि को कब्जा करने की फिराक में है अतः उनको निर्माण नही करने हेतु व कब्जे में दखल नही देने हेतु पाबंद करें। वकील प्रतिवादी ने जबाब बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादी ने भूमि की अदला बदली की है। खसरा नम्बर जिनका विवाद है वह वर्तमान में आबादी के काम आ रही है। हमारी भूमि इनके नाम चढ गई परन्तु इनकी हमारे नाम नही चढी है। कब्जा उक्त भूमि पर हमारा है बिना बेदखली के दावा स्थाई निषेधाज्ञा का नही चल सकता है। उक्त संबंध में बही में लिखावट की गई है जो मेरे द्वारा पेश की गई है। उक्त तथ्य को वादी ने अपने बयान में स्वीकार किया है। कृषि भूमि पर जब प्लाटिंग हो जाती है तो उसके लिए सिविल वाद लाना पड़ेगा। वादी व अन्य सभी गवाहान ने जमीन की अलटा–पलटी को स्वीकार किया है। अतः दावा खारिज किया जावे। रिब्युटल में वकील वादी ने कथन किया वकील प्रतिवादी ने जबाब दावा से बाहर जाकर बहस कि है जो स्वीकार नही किया जा सकता है। बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रतिवादी के कथन ग्राहय नही है। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

- तनकी नम्बर 1 :– उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण के अनुसार विवादग्रस्त भूमि के वे खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है अतः उक्त भूमि किसी प्रकार का कब्जा व निर्माण कार्य नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है। वाद पत्र में भूमि खसरा नम्बर 792 रकबा 0.97 तथा खसरा नम्बर 794 रकबा 0.64 है0 भूमि को वादीगण स्वयं को संपूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार बता रहे है परन्तु दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि उक्त भूमि में वादी ने प्लॉट काटकर अन्य लोगों को बेच दिये है। वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से उक्त कथन की पुष्टि होती है। जिसमें वादी का हिस्सा खसरा नम्बर 792 कुल रकबा 0.97 है0 में 0.04375 है0 तथा खसरा नम्बर 792 रकबा 0.97 है0 में से रकबा 0.1937 शेष बचा है। वादी द्वारा खसरा नम्बर 794 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 792 रकबा 0.97 के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है लेकिन दौराने वाद भूमि को विक्रय करने तथा उक्त

6/3/17 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़

सयुक्त अविभाजित संयुक्त भूमि के सहकाश्तकारों को वाद में पक्षकार नही बनाने के कारण वादी भूमि खसरा नम्बर 792 रकबा 0.97 है0 खसरा नम्बर 792 रकबा 0.97 है0 के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः उक्त तनकी वादी के विपरीत निर्धारित की जाती है।

- तनकी नम्बर 02 व 03 :– चूकि तनकी नम्बर 01 वादी के विरूद्व तय की गई है अतः उक्त तनकीयां भी वादी के विरूद्व तय की जाती है।

फलस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद वादी अस्वीकार/खारीज किया जाता है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 58/2007 (रामेश्वरलाल आदि बनाम रामेश्वरलाल आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.07.2024 को जारी की गई।

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00